आयोजनागत

संख्याः- 85 /I(2)/2011-04(1)/12/2008

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनाकः 14 जनवरी, 2011

विषयः– जल विद्युत निगम की नाबार्ड से वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 250/UJVNL/A-18, दिनांक 10.11.2010 एवं शासनादेश संख्या 15/I(2)/2011-04(1)12/2008, दिनांक 05.01.2011 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2010–11 में नाबार्ड की RIDF- XIII योजना के अन्तर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिये नाबार्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि ₹ 03,35,69,000.00 (₹ तीन करोड़ पैंतीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	परियोजना का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
नाबार्ड की RIDF-XIII के अन्तर्गत		
1–	लघु जल विद्युत परियोजना असीगंगा–1	273.00
2–	लघु जल विद्युत परियोजना असीगंगा–2	62.69
	योग	335.69

(₹ तीन करोड़ पैंतीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)

1– स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

2– स्वीकृत धनराशि के आगणनों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ न किया जाय अथवा नियमानुसार पूर्व से अनुमोदित एवं चालू कार्यो पर ही व्यय किया जाय।

3– धनराशि का उपयोग नाबार्ड के गाईड लाईन्स के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा नाबार्ड के पत्र सं0 1619/RIDF-XIII(Uttarakhand)/95PSC/2007-08, दिनांक 11.02.2008 एवं पत्र सं0 3351/RIDF-XIV(Uttarakhand)/99PSC/2007-08, दिनांक 30.09.2008 के प्रतिबन्धों/शर्तो का भी अनुपालन किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर करना होगा।

5– ऋण पर देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी संगत राजस्व लेखा शीर्षक में राज्य सरकार के खाते में की जायेगी। जिसकी वापसी नाबार्ड के शेड्युल के अनुसार सुनिश्चित की जाये।

.....2

6- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 व्यय की गई धनराशि का रिम्बर्समेंट क्लेम दिनांक 31.03.2011 तक प्रस्तुत करेगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

8- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक आधार पर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और धनराशि का व्यय करने में नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् परियोजनाओं का वी.सी.आर. प्रस्तुत करते हुये धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रस्ताव तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में समय-समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जाये।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है और निर्धारित समय में इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11- स्वीकृत ऋण को चालू वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-01-जल विद्युत उत्पादन-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश-04-नाबार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 30/XXVII(1)/2011, दिनांक 13 जनवरी, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्या:- 85 /I(2)/2011-04(1)/12/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- सचिव-मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
8- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव